रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 132] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 8, 2007/माघ 19, 1928
No. 132] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 8, 2007/MAGHA 19, 1928

India Code

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 2007

का.आ. 165(अ).—ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता तथा बहु-विकलांगता वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 की धारा 3(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा तत्काल प्रभाव से ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता तथा बहु-विकलांगता वाले व्यक्तियों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय न्यास बोर्ड का गठन करती है और इस प्रयोजनार्थ भारत सरकार के दिनांक 9-12-2003 की अधिसूचना सं. का.आ. 1421(अ) और दिनांक 14-3-2005 के का.आ. 317(अ) में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :–

उक्त अधिसूचना में क्रम 2 से 7 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों में, निम्नलिखित क्र. सं. और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :–

2.	सुश्री मीरा रामचन्द मानसिक मंद व्यक्ति के लिए संघ, बंगलौर, कर्नाटक	–	सदस्य
3.	श्री एम. रविचन्द्रन विशेष बच्चों के लिए करुणली ट्रस्ट, चेन्नई, तमिलनाडु	–	सदस्य
4.	सुश्री स्नेह मिश्रा एएआईएनए भुवनेश्वर, उड़ीसा	–	सदस्य
5.	श्री पी. जॉन राजकुमार मैत्री, चेन्नई, तमिलनाडु	–	सदस्य
6.	सुश्री मैरी बरुआ एक्शन फॉर ऑटिज्म, दिल्ली	–	सदस्य
7.	श्री अनिल जोशी स्वीकार नागपुर, महाराष्ट्र	–	सदस्य

क्रम सं. 2, 6 और 7 पर व्यक्तियों का दोबारा चयन किया गया है। बोर्ड के उक्त सभी सदस्य 9 दिसम्बर, 2006 से तीन वर्ष के लिए अथवा उनके उत्तराधिकारी की नियुक्ति तक, जो भी दीर्घावधिक हो, कार्यभार संभालेंगे, बशर्ते कि उनमें से कोई भी सदस्य 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद अपने पद पर नहीं बना रहेगा।

[फा. सं. 5-19/2003/एन.आई-II]

आशीष कुमार, उप महानिदेशक

नोट : दिनांक 9 दिसम्बर, 2003 की अधिसूचना सं. 1421 और दिनांक 14 मार्च, 2005 की अधिसूचना 317 भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में 15 दिसम्बर, 2003 की सं. 1111 और 15 मार्च, 2005 की सं. 251 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th January, 2007

S.O. 165(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3(4) of the National Trust for Welfare of Persons

with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999, the Central Government hereby constitutes the Board of the National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities with immediate effect and for that purpose makes the following amendments to the notification number S.O. 1421(E) dated 9th December, 2003 and S.O. 317(E) dated 14th March, 2005 of the Government of India, namely :—

In the said notification, for serial number 2 to 7 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely :—

2.	Ms. Meera Ramchand Association for the Mentally Challenged, Bangalore, Karnataka	— Member
3.	Mr. M. Ravi Chandran Karunali Trust for Special Children, Chennai, Tamil Nadu	— Member
4.	Ms. Sneha Mishra AAINA, Bhubaneswar, Orissa	— Member
5.	Mr. P. John Rajkumar Maithree, Chennai, Tamil Nadu	— Member
6.	Ms. Merry Barua Action for Autism, Delhi	— Member
7.	Mr. Anil Joshi Sweekar, Nagpur, Maharashtra	— Member

The persons named at serial no. 2, 6 and 7 have been re-elected as member. All the above named members shall hold office of the board with effect from the 9th December, 2006 for a period of three years or till their successors, are appointed, whichever is longer, provided that none of them shall hold office as Member after he has attained the age of sixty five years.

[F. No. 5-19/2003-NI-II]

ASHISH KUMAR, Dy. Director General

Note : The notification No. 1421(E) dated 9th December, 2003 and 317(E) dated 14th March, 2005 were published in the Gazette of India (Extraordinary), Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* No. 1111 dated 15th December, 2003 and 251 dated 15th March, 2005, respectively.

IndiaCode

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.